रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 300] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 1997/श्रावण 2, 1919
No. 300] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 1997/SRAVANA 2, 1919

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1997

सा. का. नि. 404(अ).—केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (संशोधन) नियम, 1997 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वायुयान नियम, 1937 में, —

(1) नियम 30 में, —

(i) उपनियम (1) में, "रजिस्ट्रीकरण की तारीख" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"रजिस्ट्रीकरण की तारीख और ऐसे रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता की अवधि" ;

(ii) उपनियम (1) के परन्तुक में, "नाम, राष्ट्रीयता तथा पट्टाकर्ता और पट्टेदार के पते भी सम्मिलित होंगे" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"पट्टे की विधिमान्यता और पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार के नाम, राष्ट्रीयता और उनके पते भी सम्मिलित होंगे";

(iii) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर जारी किए गए साधारण या विशेष आदेश द्वारा वायुयान के रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता की अवधि विनिर्दिष्ट कर सकेगी" ;

(iv) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(6) भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान का रजिस्ट्रीकरण केन्द्रीय सरकार किसी भी समय रद्द कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान कर दिया जाता है कि" —

(i) ऐसा रजिस्ट्रीकरण उपनियम (2) के उपबंधों के अनुरूप नहीं है; या

(ii) रजिस्ट्रीकरण मिथ्या जानकारी देकर प्राप्त किया गया है; या

(iii) वायुयान का रजिस्ट्रीकरण अधिक उपयुक्त रूप से किसी अन्य देशों में हो सकता था; या

(iv) वायुयान की बाबत पट्टा, उपनियम (2) के खंड (क) के उपखंड (iv) के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत, प्रवृत्त नहीं है; या

(v) वायुयान को नष्ट कर दिया गया है या उसे उपयोग से स्थायी रूप से वापस ले लिया गया है ; या

(vi) लोकहित में यह असमीचीन है कि वायुयान भारत में रजिस्ट्रीकृत बना रहे ।";

(2) नियम 33 के खंड (घ) का लोप किया जाएगा;

(3) नियम 34 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. ए-वी 11012/007/97-ए]
अनिल बैजल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—

1. प्रधान नियम 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना सं. वी-26 द्वारा 27 मार्च, 1937 के भारत के राजपत्र के भाग-1 में प्रकाशित हुए थे तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन हुआ था :—

(1) दिनांक 14-8-1976 के भारत के राजपत्र के भाग-2, खण्ड 3, उप खण्ड

(1) में प्रकाशित जी. एस. आर. 1202 दिनांक 23-7-1976

(2) दिनांक 25-1-1992 के भारत के राजपत्र के भाग-2, खण्ड 3, उप खण्ड

(1) में प्रकाशित जी. एस. आर. 36 दिनांक 7-1-1992

(3) दिनांक 2-8-1996 के भारत के राजपत्र के भाग-2, खण्ड 3, उप खण्ड

(1) में प्रकाशित जी. एस. आर. 349 (ई) दिनांक 31-7-1996

2. केन्द्रीय सरकार ने वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 के परन्तुक में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व प्रकाशन की शर्तों को अलग कर दिया है, यदि यह अधिसूचना दिनांक 14-7-1997 के आदेश सं. एवी-11012/7/97-ए द्वारा नागर विमानन मंत्रालय में जारी होती है ।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 1997

G.S.R. 404(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely :—

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, —

(1) in rule 30, —

(i) in sub-rule (1), for the words "the date of registration", the following words shall be substituted, namely:—

"the date of registration and the period of validity of such registration";

(ii) in proviso to sub-rule (1), for the words "shall also include the names", the following words shall be substituted, namely:—

"shall also include the validity of the lease and the names";

(iii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1A) The Central Government may be general or special order issued from time to time, specify the period of validity of registration of the aircraft.";

(iv) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(6) The registration of an aircraft registered in India may be cancelled at any time by the Central Government, if it is satisfied that—

(i) such registration is not in conformity with the provision of sub-rule (2); or

(ii) the registration has been obtained by furnishing false information; or

(iii) the aircraft could more suitably be registered in some other country; or

(iv) the lease in respect of the aircraft, registered in pursuance of sub-clause (iv) of clause (a) of sub-rule (2), is not in force; or

(v) the aircraft has been destroyed or permanently withdrawn from use; or

(vi) it is inexpedient in the public interest that the aircraft should remain registered in India.";

(2) in rule 33, clause (d) shall be omitted;

(3) rule 34 shall be omitted.

[F.No. AV 11012/007/97-A]

ANIL BAIJAL, Jt. Secy.

Note:

1. The principal rules were published in the Gazette of India, Part I, dated 27th March, 1937 vide notification No. V-26, dated 23rd March, 1937 and subsequently amended by :—

(i) GSR 1202, dated 23-7-1976, published in Part II, Section 3, sub-section (i) of the Gazette of India 14-8-1976.

(ii) GSR 36, dated 7-1-1992, published in Part II, Section 3, sub-section (i) of the Gazette of India 25-1-1992.

(iii) GSR 349 (E), dated 31-7-1996, published in Part II, Section 3, sub-section (i) of the Gazette of India 2-8-1996.

2. The Central Government in exercise of the powers conferred in proviso to section 14 of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934) has dispensed with the condition of previous publication in case this notification vide its Order No. AV11012/007/97-A dated 14th July, 1997 issued in Ministry of Civil Aviation.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1997